



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19877 वर्ष 2026

श्रीनिवास

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शुभम कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अजीत मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता., मंडावी, पर्वत सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री देवी दयाल द्वारा दाखिल वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शुभम कुमार, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री देवी दयाल और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
3. यह जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 25/2026 (धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 105 बी.एन.एस., 2023; थाना- दौंकी, जिला- आगरा) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दाखिल की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना 31.01.2026 को रात 8:00 बजे हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. 05.02.2026 को दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई पांच दिन की देरी के बारे में अभियोजन पक्ष ने कोई ठीक-ठाक कारण नहीं बताया है। एफ.आई.आर. काफी सोच-विचार और सलाह-मशविरे के बाद दर्ज की गई थी। हालांकि, एफ.आई.आर. में यह आरोप लगाया गया है कि घायल व्यक्ति को घूंसे, लात-घूंसे और बांस की लाठी से चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन जांच के दौरान दर्ज चश्मदीद गवाह रामनाथ के बयान में उसने कहा कि आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने घायल/मृतक व्यक्ति को घूंसे और लात-घूंसे मारकर चोट पहुंचाई थी। उक्त गवाह ने आवेदक के पास कोई हथियार होने की बात नहीं कही। कथित चश्मदीद गवाह रामनाथ ने माना है कि मरने वाले व्यक्ति ने घटना से पहले शराब पी थी और वह नशे की हालत में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मरने वाले व्यक्ति के सिर पर चोट लगी थी, लेकिन गवाह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह चोट किसने पहुंचाई थी। आवेदक और अन्य सह-आरोपियों पर आम और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। कथित घटना के सात दिन बाद मरने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 07.04.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की भागीदारी के बारे में उसके खिलाफ काफी सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने जैसी बातों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह न्यायालयों इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

7. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **मंज़ूर** की जाती है।

8. आवेदक **श्रीनिवास**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा:

(1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण जज की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वे गवाहों के बयानों के आधार पर बनाएंगे।

16 जून, 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”